



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247024
CG-DL-E-05072023-247024

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2812]
No. 2812]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2023/आषाढ़ 13, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2023/ASHADHA 13, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसइजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2023

का.आ. 2937(अ).—यतः, मै. उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन, जो ओडिशा राज्य सरकार का एक उपक्रम है, ने ओडिशा राज्य में ग्राम अरिसल एवं गौडाकाशिपुर, तहसील जतनी जिला खुरदा में सुचना प्रौद्योगिकी (नॉलेज पार्क) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 12(अ) दिनांक 04 जनवरी, 2011 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 106.260 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 56.078 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, ओडिशा सरकार ने पत्र संख्या 4597/एमआईई.2/2022-1 दिनांक 06 जून, 2022 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, फाल्टा विशेष आर्थिक जोन ने 56.078 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनधिसूचना के बाद, उक्त भूमि का उपयोग आईटी/आईटीईएस कंपनियों को आवंटन के लिए किया जाएगा;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा 56.078 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 50.182 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे संख्यायें और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	रेवेनू प्लाट संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1.	अरिसल	141	322/379(भाग)	1.580	
2.		141	323	0.009	
3.		141	324(भाग)	1.031	
4.	गौडाकाशिपुर	236	248(भाग)	9.255	
5.		236	249(भाग)	3.348	
6.		236	244	10.464	
7.		233	244/469	7.759	
8.		233	253(भाग)	8.852	
9.		233	254(भाग)	0.011	
10.		233	255(भाग)	7.462	
11.		233	258(भाग)	3.121	
12.		233	320/509(भाग)	3.105	
13.		233	329	0.073	
14.		233	328	0.008	
कुल अनधिसूचित क्षेत्रफल				56.078	
उपयुक्त अनधिसूचना के पश्चात् एसईजेड का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल				50.182	

[फा. सं. एफ. 2/408/2006-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2023

S.O. 2937(E).—Whereas, M/s. Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation, a Government of Odisha undertaking, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter

referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT (Knowledge Park) at Village Gaudakashipur and Arisal, Tehsil: Jatni, District: Khurda in the State of Odisha;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 12(E) dated 04th January, 2011 notified an area of 106.260 hectares at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, M/s. Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation has now proposed for de-notification of 56.078 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Odisha has given its approval to the proposal vide letter No. 5356 dated 16th June, 2022;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Falta Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 56.078 hectares of the above the Special Economic Zone. Further, after the de-notification, the area shall be utilized for allotment to IT/ITES companies;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 56.078 hectares of the above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 50.182 hectares. The Survey numbers and area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey/Khatiyani No.	Revenue Plot No.	Total Area (in Hectares)
1.	Arisal	141	322/379(P)	1.580
2.		141	323	0.009
3.		141	324(P)	1.031
4.	Goudakasipur	236	248(P)	9.255
5.		236	249(P)	3.348
6.		236	244	10.464
7.		233	244/469	7.759
8.		233	253(P)	8.852
9.		233	254(P)	0.011
10.		233	255(P)	7.462
11.		233	258(P)	3.121
12.		233	320/509(P)	3.105
13.		233	329	0.073
14.		233	328	0.008
Total de-notified area				56.078
Total notified area of SEZ after above de-notification				50.182

[F. No. F.2/408/2006-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.